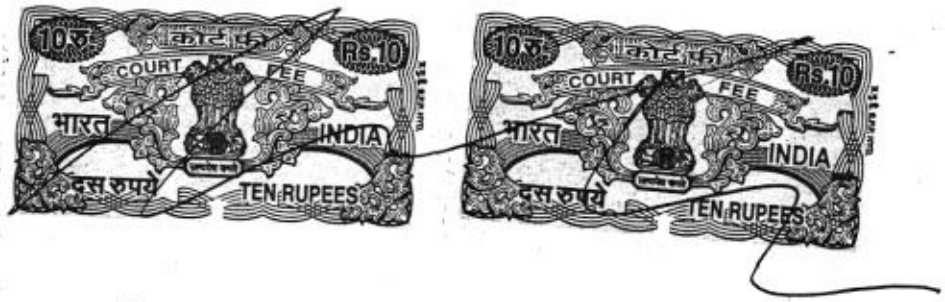

कोर्ट फी
10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

निगरानी प्रकरण क्र......./

निगरानी 857-III-15

159

प्रति क्र० श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा आज 20/3/15 को प्रस्तुत

हुसैन खां आ.खैरउल्ला आयु वयस्क
कृषक एवं निवासी ग्राम दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र....................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. रामेश्वर सिंह पुत्र सरदार सिंह आयु वयस्क
2. भोलाशंकर आ.सरदार सिंह आयु वयस्क
3. मूलचंद आ.गनपत आयु वयस्क
4. श्री किशन आ.रामप्रसाद आयु वयस्क
5. लीलाकिशन आ.गनपत आयु वयस्क
6. अमर सिंह आ.रामप्रसाद आयु वयस्क

सभी निवासी ग्राम दौराहा,
तहसील श्यामपुर जिला–सीहोर म.प्र....................प्रतिनिगरानीकर्ता

20/3/15
अधीक्षक
लय कमिश्नर
संभाग, भोपाल

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 27/01/2015 जो प्रकरण क्र. 14/निगरानी/2011–12 में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित किया गया एवं जिसके द्वारा अधीनस्थ अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/08/2011 को स्थिर रखा गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 857–तीन/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–5–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–1–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में मौके पर स्वंय स्थल निरीक्षण किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है । आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के ढेड वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत करने एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण एवं अभिलेख पर उपस्थित अन्य तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देते हुये नायब तहसीलदार की कार्यवाही को निरस्त करना विधिसंगत नहीं था । अतः अपर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर पूर्णतः विधिसंगत है । अतः उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	